

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-129/2021..... 3404
प्रेषक,

सेवा में,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
बक्सर।

विषय :- पटना, दिनांक- 11.9.21
पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-1736/पं0, दिनांक-28.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त 06 संशोधित मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	राजपुर	1	0	1	
	कुल	1	0	1	

मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- 3404 /-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 11.9.21 /-

ज्ञापांक- 3404 /-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 11.9.21 /-

ज्ञापांक- 3404 /-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि विलोपित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

पटना, दिनांक- 11.9.21 /-

सचिव।

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

क्र०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा0नि0क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र० तक) से तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभिव्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जिला - बक्सर

प्रखंड - राजपुर

1	250	उ० म० वि० सिकंदी (पू० भाग)	उच्च वि० सिकंदी	परिवाद पत्र के कारण	8-सिकंदी	1-621	सरकारी	8	1 किलोमीटर	हाँ	हाँ	
---	-----	----------------------------	-----------------	---------------------	----------	-------	--------	---	------------	-----	-----	--

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चयनित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित


उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

जिला पदाधिकारी, बक्सर।